

(दिल्ली राजपत्र भाग 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय आबकारी आयुक्त  
एल-ब्लॉक, विकास भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली

सं. फा. 10(56)96-97/आई.एम.एफ.एल./आब./पी.एफ.-11/6015-29


दिनांक: 30/1/15

अधिसूचना

दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम-52 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के सामान्य चुनाव-2015 में होने के कारण निम्नलिखित तारीखों को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया जाता है जो कि सभी एल-1, एल-1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-7, एल-7एफजी, एल-7एफई, एल-8, एल-9, एल-9ए, एल-10, एल-11, एल-12, एल-12एफ, एल-14, एल-15, एल-15एफ, एल-16, एल-16एफ, एल-17, एल-17एफ, एल-18, एल-18एफ, एल-19, एल-19एफ, एल-20, एल-20एफ, एल-21, एल-21एफ, एल-22, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-27, एल-28, एल-28एफ, एल-29, एल-29एफ, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34, एल-35, पी-10 और पी-13, लाइसेंसधारकों और अफीम की दुकानों पर लागू होंगे।

1. दिनांक 05.02.2015 (बृहस्पतिवार) सांय 6.00 बजे से दिनांक 07.02.2015 (शनिवार) मतदान दिवस सांय 6.00 तक (जो कि 48 घंटे के लिए है)।
2. दिनांक 10.02.2015 (गंगलवार) (पूर्ण दिवस) मतगणना दिवस।

उपरोक्त दिन इस प्रशारण की दिनांक 10.12.2014 की अधिसूचना संख्या फा. 10(56)/96-97/आई.एम.एफ.एल./आब./1507-21 के अनुसार घोषित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त शुष्क दिवस होंगे।

  
(नरज सोमवाल)  
आबकारी आयुक्त, दिल्ली